सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, बारां (राज.)

पीठासीन अधिकारी श्री सुदर्शन सिंह तोमर (आर.ए.एस.)

प्रकरण संख्या :–29/2015

बउनवान

श्री हरिओम आयु 36 वर्ष पुत्र रामनारायण जाति कुम्हार निवासी सीसवाली जिला बारां

(अपीलांट)

बनाम

राजस्थान सरकार जर्ये नायब तहसीलदार, सीसवाली जिला बारां

(रेस्पोडेन्ट)

अपील अन्तर्गत धारा 75 भू–राजस्व अधिनियम,1956

उपस्थित :– 1– श्री नरेन्द्र कुमार सोमानी अभिभाषक **(अपीलांट)**

2– पेरोकार सरकार **(रेस्पोडेन्ट)**

निर्णय दिनांक 28.06.2019

अपीलांट ने यह अपील अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली के प्रकरण संख्या 55/2014 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट मे पारित निर्णय दिनांक 15.12.2014 के विरूद्व अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम, 1956 के तहत प्रस्तुत की गयी है। अपील के संक्षिप्त मे तथ्य इस प्रकार है कि वाके ग्राम सीसवाली की किस्म बारानी II/बजड भूमि खसरा नम्बर 1503, 1489 की रकबा 0.52 हेक्टयर भूमि पर ईटभट्टा लगाकर अतिक्रमण करने पर अपीलांट को पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानकर 3 माह (90 दिन) की सिविल कारावास की सजा एवं 4225/– रूपये शास्ति से दण्डित किया है। जिससे अप्रसन्न होकर यह अपील प्रस्तुत की गई।

इस पर प्रकरण दिनांक 12.03.2015 को दर्ज रजिस्टर किया जाकर, रेस्पोडेन्ट को जर्ये सम्मन तलब किया जाकर, अधीनस्थ न्यायालय की मूल पत्रावली तलब की गई। अधीनस्थ न्यायालय से मूल पत्रावली प्राप्त होने पर, पत्रावली मे बहस सुनी गई।

अपीलांट के अभिभाषक ने दौराने बहस व्यक्त किया कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यो एवं तथ्यों के विपरीत होने से निरस्त होने योग्य है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश अपीलांट के विरूद्व एकतरफा पारित किया गया है तथा अपीलांट को सुनवाई एवं साक्ष्य प्रस्तुत करने का कोई अवसर नही दिया गया है। अपीलांट ने उक्त विवादित आराजी को 40,000 रूपये प्रतिवर्ष किराये पर ले रखी है, जिस पर अपीलांट द्वारा ईट भट्टा संचालित किया जा रहा है। अपीलांट के विरूद्व अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही अधीनस्थ न्यायालय द्वारा गलत की गई है, श्रीमान चाहे तो पत्रावली मे अधीनस्थ न्यायालय से मौका रिपोर्ट मय नक्शा मंगवायी जावे ताकि प्रकरण की स्थिति स्पष्ट हो जावे। अधीनस्थ न्यायालय ने केवल मात्र पटवारी हल्का के बयानों के आधार पर अतिक्रमी माना है अपीलांट जाति से कुम्हार है एवं ईट निर्माण उसका पुश्तेनी व्यवसाय है, अपीलांट वर्णित आराजियात कर पिछले कई वर्षो से ईटो का भट्टा लगाकर अपने परिवार का पेट पालन करता चला आ रहा है। अतः अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय निरस्त फरमाया जाकर, अपीलांट को सजा व जुर्माने से बरी किया जाकर, अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को स्वीकार फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

इस पर पत्रावली मे अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सीसवाली को आदेश दिये गये कि मौके पर जाकर जांच करवाकर मय नक्शा स्पष्ट रिपोर्ट भिजवाये जावे। उक्त आदेश की पालना मे अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.6.2015 को मौके पर, मय नक्शा रिपोर्ट तैयार की जाकर, पत्रांक 876 दिनांक 19.8.2015 से इस न्यायालय को प्रेषित की गई।

इसके विपरीत सरकारी पेरोकार का कथन है कि अधीनस्थ न्यायालय मे अपीलांट को सुनवाई का पूर्ण अवसर दिया गया था। तामील प्रोपर हुई है तथा प्राकृतिक न्याय के सिद्वान्त की अवहेलना नही हुई है। अपीलांट बावजूद सूचना के अधीनस्थ न्यायालय मे अनुपस्थित रहा है। उक्त भूमि खसरा नम्बर 1503, 1489 की रकबा 0.52 हेक्टयर बारान I है जो सरकारी है जिस पर अप्रार्थी ने नाजायज अतिक्रमण कर लिया है ग्रामवासियान मे उक्त आराजी पर अतिक्रमण से भारी रोष व्याप्त है। अप्रार्थी एक प्रभावशाली व्यक्ति है जो सरकारी भूमि पर बार–बार अतिक्रमण करने का आदी है, पूर्व मे भी अप्रार्थी द्वारा अतिक्रमण किया गया था, जिसको प्रकरण संख्या 24/2013 मे पारित निर्णय दिनांक 14.2.2014 से बेदखल किया जा चुका था। अपीलांट द्वारा सम्वत् 2071 मे पुनः किया गया ईट भट्टा लगाकर अतिक्रमण, पश्चातवर्ती अतिक्रमी की श्रेणी मे आता है। उक्त ईट भट्टे पर प्रतिदिन बनाये जाने वाली ईटो की संख्या 300–1000 जप्ति के समय पक्की ईटो की संख्या लगभग 30000 कच्ची ईटो की संख्या 20000 अनुमानित, जिनका अनुमानित बाजार मूल्य लगभग 75000 रूपये है। प्रकरण मे ऐसे अतिक्रमी की सजा माफ किया जाना न्यायोचित नही है इससे अतिक्रमण को बढावा मिलता है। उक्त ईट भट्टा आबादी के समीप स्थित है जो अवैध है ओर उसके लिये प्रदूषण विभाग की अनुमति लिया जाना भी आवश्यक है। अतः अपीलांट की अपील खारिज फरमाये जाने हेतु निवेदन किया गया।

हमने अपीलांट के अभिभाषक एवं पेरोकार सरकार की बहस सुनी एवं अधीनस्थ न्यायालय से प्राप्त मूल पत्रावली का अवलोकन किया, साथ ही प्रकरण मे आई.एल.आर. द्वारा तैयार की गई मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस ली गई, जिसका अवलोकन किया गया। जिससे पाया गया कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सीसवाली द्वारा प्रकरण संख्या 55/2014 किस्म धारा 91 एल.आर.एक्ट 1956 मे पारित आदेश दिनांक 15.12.2014 वाके ग्राम सीसवाली की किस्म बारानी II/बजड भूमि खसरा नम्बर 1503, 1489 की रकबा 0.52 हेक्टयर भूमि पर ईट भट्टा लगाकर किये गये अतिक्रमण के परिपेक्ष्य मे अपीलांट के विरूद्व पश्चातवर्ती अतिक्रमी मानते हुये पारित किया गया है। जिस पर अपीलांट द्वारा आपत्ति की गई की उक्त आराजी को 40,000 रूपये प्रतिवर्ष किराये पर ले रखी है, जिस पर अपीलांट द्वारा ईट भट्टा संचालित किया जा रहा है। इस पर अधीनस्थ न्यायालय से मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस तलब की गई। जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिनांक 25.6.2015 को तैयार की गई, जिसके मुताबिक ग्राम सीसवाली की आराजी खसरा नम्बर 1491 रकबा 0.48 हैक्ट. किस्म बारानी I खातेदार चन्द्रकला पत्नि जगदीश जाति मीणा निवासी सीसवाली के खातेदारी की है। वर्तमान मे मौके पर खसरा नम्बर 1491 की रकबा 0.41 हेक्टयर पर खातेदारी की भूमि पर पक्की ईट बनाये जाने हेतु ईट भट्टा हरिओम पुत्र रामनारायण जाति कुम्हार निवासी सीसवाली का संचालित है। जिससे स्पष्ट है कि अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सीसवाली द्वारा अपीलांट के विरूद्व ग्राम सीसवाली के खसरा नम्बर 1503, 1489 की रकबा 0.52 हेक्टयर किस्म बारानी II/बजड पर अपीलांट को पश्चावर्ती अतिक्रमी माना जाकर, अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट की कार्यवाही की गई है, जो नायब तहसीलदार सीसवाली द्वारा आई.एल.आर. के

माध्यम से तैयार कर प्रस्तुत की गई मौका रिपोर्ट मय नक्शा ट्रेस दिनांक 25.6.2015 से मेल नही खाती है। अर्थात अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सीसवाली के निर्णय दिनांक 15.12.2014 मे खसरा नम्बर 1503, 1489 की रकबा 0.52 हेक्टयर भूमि पर अन्तर्गत धारा 91 एल.आर.एक्ट के तहत कार्यवाही की गई है। जबकि दिनांक 25.6.2015 की रिर्पोट के अनुसार अपीलांट का कब्जा इस खसरा नम्बर न होकर अन्य खातेदारी की भूमि वाके ग्राम सीसवाली की आराजी खसरा नम्बर खसरा नम्बर 1491 रकबा 0.41 हैक्ट. किस्म बारानी I खातेदार चन्द्रकला पत्नि जगदीश जाति मीणा निवासी सीसवाली के खातेदारी पर है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2014 मे तकनीकी त्रुटि प्रतीत होती है।

अतः परिणाम स्वरूप अपील अपीलांट आंशिक रूप से स्वीकार की जाकर, अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार सीसवाली द्वारा प्रकरण संख्या 55/2014 में पारित आदेश दिनांक 15.12.2014 में बेदखली एवं शास्ति के दण्ड को यथावत रखा जाता है। अपीलांट को उक्त आदेश से दी गई सिविल कारावास की सजा को इस शर्त पर माफ किया जाता है, कि नायब तहसीलदार सीसवाली 7 दिवस मे जॉच करे, कि अपीलांट यदि अतिक्रमित आराजी वाके ग्राम सीसवाली की खसरा नम्बर 1503, 1489 की रकबा 0.52 हेक्टर भूमि किस्म बारानी II/बजड से कब्जा छोड दिया है, तो नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा प्रकरण संख्या 55/2014 मे अन्तर्गत धारा 91 एल.आर. एक्ट के तहत पारित आदेश दिनांक 15.12.2014 से दी गयी सिविल कारावास की सजा माफ रहेगी अन्यथा अधीनस्थ न्यायालय नायब तहसीलदार, सीसवाली द्वारा पारित निर्णय दिनांक 15.12.2014 यथावत रहेगा।

आदेश आज दिनांक 28.06.2019 को हमारे द्वारा लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(सुदर्शन सिंह तोमर)
अति0 जिला कलक्टर,
बारां